यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार के माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो संजीव कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी एंव श्री अं कत पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14/02/2018 से 19/02/2018 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण (दिनांक 14/02/2018 एवं 17/02/2018 से 19/02/2018) में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः ट्यूबेल का निर्माण/ हरिद्वार, बहादराबाद, लक्सर एवं खानपुर।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

लाख में

वर्ष	मुख्य लेखाशीर्षक	कुल आवंटन	कुल व्यय
नवसृजित इकाई			
2016-17	20/4700 20/2702	114.00 41.60	110.91 41.55
2017-18 Upto 12/2017	20/4700 20/2702	1197.46 37.00	1163.62 37.00
		1390.06	1353.08

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव

प्रमुख अ भयन्ता

मुख्य अ भयन्ता

अधीक्षण अ भयन्ता

अ धशासी अ भयन्ता

सहायक अ भयन्ता

कनिष्ठ अ भयन्ता

अन्य स्टाफ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। खण्ड नवसृजित है खण्ड के मुख्य अ भलेख यथा स्टॉक रजिस्टर आदि का रखरखाव नहीं कया जा रहा है। खण्ड का स्टॉक रजिस्टर और संबं धत अ भलेख (**4S, 3S** और 2**S**) अभी तैयार कये जा रहे है। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में कोई निरीक्षण नहीं कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखे तैयार नहीं है तैयार कये जा रहे है।

4. फार्म 51: माह 12/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - शून्य

   भाग द् वतीय - ₹ 81593/-

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 06/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ शून्य

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप- ₹ 394928/-

   (ङ) भण्डार- स्टॉक रजिस्टर तैयार कया जा रहा है।

भाग दो 'अ'

-शून्य-

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1- नलकूपों पर 6310.89 लाख के व्यय के बावजूद नलकूप संचा लत न होने के कारण अलाभकारी व्यय।

नाबार्ड वत्तपो षत योजना के अंतर्गत खण्ड द्वारा कृषक को संचाई की सु वधा प्रदान करने हेतु खण्ड द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2016-17 के मध्य नि र्मत 29 नलकूपों का 6310.86 लाख व्यय कर निर्माण कया गया था। इन नलकूपों द्वारा 6150 हैक्टेयर भू म को सं चत करने का लक्ष्य रखा गया था।

अ धशासी अ भयन्ता, नलकूप खण्ड, संचाई वभाग, रूड़की के अ भलेखों की लेखापरीक्षा (फरवरी 2018) में पाया गया क उक्त 29 नलकूप लगाने के बाद 15 माह से 26 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी संचा लत नहीं हो पाए थे, नलकूप संचा लत ना होने के कारण कृषकों को संचाई की सु वधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी जिसके कारण संचाई हेतु ल क्षत 6150 हैक्टेयर भू म अ सं चत थी। आगे जांच में यह भी पाया क खण्ड द्वारा नलकूपों की ऊर्जिकरन हेतु 1.02 करोड़ वद्युत वभाग में नलकूप लगाए जाने के लगभग 21 माह बाद जमा कराये गए थे। लेखा परीक्षा ति थ तक उक्त नलकूप ऊर्जिकृत भी नहीं हो पाये थे। नलकूपों के संचा लत न होने के कारण इनके निर्माण का प्रयोजन पूर्ण न होने के कारण इन पर कया गया कुल व्यय 6412.92 लाख (6310.89 लाख 102.03 लाख0 अलाभकारी व्यय था।

प्रकरण इं गत करने पर खण्ड द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुये उत्तर में बताया गया क नलकूपों को संचा लत करने हेतु एवं ऊर्जिकरण करवाने हेतु प्रयास कए जा रहे है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क खण्ड की श थलता के कारण नलकूप लगाने के बाद 15 माह से 26 माह तक व्यतीत हो जाने के बाद भी क उक्त 29 नलकूप संचा लत नहीं हो पाए थे, नलकूप संचा लत ना होने के कारण कृषको को संचाई की सु वधा उपलब्ध नहीं हो पाई थी जिसके कारण संचाई हेतु ल क्षत 6150 हैक्टेयर भू म अ सं चत थी। फलस्वरूप खण्ड द्वारा इन नलकूपों पर कया गया व्यय 6412.92 लाख अलाभकारी हो गया था।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 2- भण्डार लेखे (स्टॉक रजिस्टर) का रखरखाव ना कया जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका भाग 6 के पैरा 195 के अनुसार Government servants entrusted by the divisional officer with the care, use or consumption of stores are responsible for maintaining correct records and preparing corret returns in respect of the stores entrusted to them.

196. All transaction of receipts and issued should be recorded strictly in accordance with the rules, in the order of occurrence and as soon as they take place. Fictitious stock adjustments are strictly prohibited, such for example, as (1) the debiting to a work of the cost of materials not requires or in excess of actual requirements, (2) the debiting to a particular work for which funds are available of the value of materials intended to be utilized on another work for which no appropriation has been sanctioned, (3) the writing back of the value of materials used on a work to avoid excess outlay over appropriation etc. Any breach of this rule constitutes a serious irregularity, which will be brought prominently to the notice of the Government by the Accountant – General.

अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड में भण्डार के लेखों (स्टॉक रजिस्टर) का रख-रखाव नहीं कया जा रहा था। खण्ड की स्थापना सतम्बर 2016 में नलकूप खण्ड रूड़की से अलग कर के की गयी थी उस समय खण्ड को नलकूप खण्ड रूड़की से 6.85 करोड़ की सामग्री प्राप्त हुयी थी उस सामाग्री का एवं खण्ड के सृजन से लेकर लेखा परीक्षा ति थ तक खण्ड द्वारा जो भी सामग्री खरीदी गयी, कब-कब और कस-कस कार्य पर जारी कया गया, कतनी-कतनी मात्रा में जारी कया गया इन सब का कोई भी हिसाब कताब खण्ड द्वारा स्टॉक रजिस्टर के अभाव में नहीं रखा जा रहा था। स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव ना कया जाना स्पष्ट रूप से उक्त वत्तीय नियमों का उल्लंघन था।

आगे, जांच में यह भी पाया गया क खण्ड द्वारा निर्माण कार्यों पर बिना अनुबंध गठित कये गये निय मत रूप से लगातार एक से तीन लाख तक के कार्यदेशों के आधार पर कराये जा रहे थे जिससे खण्ड नि वदा प्रपत्र आदि की बिक्री से प्राप्त होने वाली Revenue से भी वं चत था।

प्रकरण इं गत कये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया क स्टॉक रजिस्टर तैयार कये जा रहे है तथा बताया क भ वष्य में कार्य अनुबंध गठित कर के कराये जायेंगे।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क वत्तीय नियमों में स्पष्ट उल्लेख है क खण्ड में सामग्री का क्रय एवं उसके उपभोग का लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए। साथ ही अनुबंध गठित

करने के बजाय निय मत रूप से (इकाई के गठन से लेखापरीक्षा ति थ तक) खण्ड में सभी कार्य कार्यदेशों (Work orders) के आधार पर कया जाना भी वत्तीय नियमों के वपरीत/वरूद्ध है एवं खण्ड नि वदा प्रपत्र आदि की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय से भी वं चत था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर 1- 41.83 लाख के दायित्वों का भुगतान न कया जाना।

नलकूप खण्ड हरिद्वार का सृजन नलकूप खण्ड रूड़की से अलग करके कया गया था (09/2016) सृजन के समय नलकूप खण्ड रूड़की द्वारा नलकूप खण्ड हरिद्वार के भौगो लक क्षेत्र (Jurisdiction) में करवाये गये कार्यों के सापेक्ष 41.83 लाख का दायित्व भी खण्ड हरिद्वार में करने के लए दिया गया था।

खण्ड के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा लेखापरीक्षा ति थ तक (फरवरी 2018) उक्त दायित्वों 41.83 लाख का भुगतान ठेकेदारों (संबं धत) को नहीं कया गया था।

प्रकरण इं गत कये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया क शीघ्र ही समस्त बीजकों (Bills) का भुगतान कर दिया जायेगा जिस हेतु नाबार्ड 20/50 के अन्तर्गत धन की मांग उच्चा धकारियों से की गई है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क खण्ड को गठित (सतम्बर 2016) हुए लगभग 17 माह (लेखापरीक्षा ति थ तक) हो चुके है। साथ ही खण्ड द्वारा अन्य कार्य करवाये जा रहे है और उनके सापेक्ष भुगतान भी कया जा रहा परन्तु पछले 2 वर्ष से लेकर 7 वर्षों तक कराये गये कार्यों के सापेक्ष जो दायित्व सृजित कर रहे है / बकाया है उनका भुगतान नहीं कया जा रहा था।

प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
शून्य				

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) JE's Account (1s register)

(ii) MB's no: 02/L, 26/L, 07/L, 16/L, 29/L, 08/L, 520/L, 510/L, 32/L, 506/L. 460/L, 509/L, 20/L, 472/L, 490/L, 560/L, 530/L, 547/L, 543/L, 474/L, 566/L, 505/L, 551/L, 494/L, 523/L, 537/L, 516/L, 517/L, 443/L, 504/L, चयनित निर्माण कार्यों से संबं धत अ भलेख।

2. सतत् अनिय मतताएः शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री श्याम संह चौहान	अ धशासी अ भयंता 15/09/2016 से 28/02/2017 तक।
(ii)	श्री आर.एस. शर्मा	अ धशासी अ भयन्ता 01/03/2017 से 28/06/2017 तक।
(iii)	श्री आई. एस. फोनिया	अ धशासी अ भयन्ता 28/06/2017 से 22/09/2017 तक
(iv)	श्री आर.बी. संह	अ धशासी अ भयन्ता 22/09/2017 से वर्तमान तक।

(v) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.		09/2016 से 24/04/2017 तक कोई नहीं
2.	श्री अतर संह चौहान	25/04/2017 से 16/06/2017 तक
3.	श्री हर मन्दर खत्री	17/06/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, नलकूप खण्ड, हरिद्वार को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागड़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II